



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092025-266137
CG-DL-E-13092025-266137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2025/भाद्र 21, 1947

No. 583]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025/BHADRA 21, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 627(अ).— निम्नलिखित भर्ती नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा भर्ती नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख को आधिकारिक राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा भर्ती नियमों पर आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों तो, निदेशक, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016, ईमेल: anrf-director@anrf.gov.in को भेजे जा सकते हैं।

उक्त मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से तीस दिनों की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, मुख्य प्रचालन अधिकारी और वित्तीय अधिकारी की भर्ती पद्धति, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें नियम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषा** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;
(ख) "प्रतिष्ठान" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान से है;
(ग) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है, और
(घ) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं।
3. **आवेदन** - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।
5. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं, आदि** - उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।
6. **नियुक्ति प्राधिकारी** - कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा।
7. **बाह्य चिकित्सा उपचार** - (1) अधिकारी स्वयं और परिवार के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के पात्र होंगे।
स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "परिवार" शब्द का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में विनिर्दिष्ट है।
(2) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की पहली जनवरी को एक माह के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी:
बशर्ते कि वर्ष के दौरान किसी वेतन वृद्धि या पदोन्नति का प्रभाव 1 जनवरी को निर्धारित सीमा पर नहीं पड़ेगा।
(3) चिकित्सा दावे के समर्थन में चिकित्सा अधिकारी का पर्चा और चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर से विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित उपचार और दवाओं की खरीद के मूल कैश मेमो या बिल होने चाहिए।
(4) 1 जनवरी के बाद वर्ष के दौरान ड्यूटी में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए, वार्षिक पात्रता आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित होगी।
(5) आउटडोर उपचार केवल फाउंडेशन द्वारा विधिवत रूप से सूचीबद्ध अधिकृत चिकित्सा परिचारकों से ही प्राप्त किया जा सकेगा।
(6) दीर्घकालिक बीमारियों की स्थिति में, दवाओं और परीक्षणों, यदि कोई हो, की लागत की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ, केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या कवर किए गए अस्पतालों का परचा स्वीकार्य होगा।
(7) अत्यधिक लागत वाले उपचार के प्रयोजनार्थ, प्रतिपूर्ति, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार, अलग-अलग मामले के आधार पर फाउंडेशन के अनुमोदन से, विनिर्दिष्ट दरों पर स्वीकार्य होगी।
(8) आपातकाल की स्थिति में कर्मचारी निकटतम अस्पताल में इलाज करा सकता है और व्यय की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा, यह अस्पताल प्राधिकारियों के आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।

8. आंतरिक चिकित्सा उपचार- (1) आंतरिक चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए, अधिकारी इस संबंध में फाउंडेशन द्वारा अधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल आवास, नर्सिंग होम सुविधा सहित उपचार की लागत केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार होगी, जो वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू होती है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पताल में उपचार वही होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार चिकित्सा प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमेय है।

(3) आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पतालों में प्राधिकृत चिकित्सा सहायकों की सलाह पर ही उपचार लिया जा सकता है।

9. अनर्हता - कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से पृथक् कर सकती है।

10. आवेदनों पर कार्रवाई : एएनआरएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत गठित एक स्क्रीनिंग समिति, फाउंडेशन द्वारा प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए उम्मीदवारों की नौकरी और सीवी की आवश्यकताओं के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकती है।

11. चयन समिति - अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट मुख्य परिचालन अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी के पदों पर भर्ती या चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को संस्तुति करने हेतु चयन समिति, अनुसूची के कॉलम (12) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

12. अवशिष्ट उपबंध - अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों को धारण करने वाले अधिकारी की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं है, वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

13. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

14. शिथिलन की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य प्रचालन अधिकारी	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-15 (रु. 1,82,200 - 2,24,100)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने पर लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा, पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
(11)
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, - वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (1,44,200 - 2,18,200 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। अनिवार्य योग्यताएँ: (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि; और (ग) उपर्युक्त खंड (ख) में विनिर्दिष्ट योग्यताएँ धारक, अनुसंधान प्रशासन, सरकारी कार्यक्रमों, नवाचार प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन या मिशन-संचालित पहलों से संबंधित भूमिकाओं में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट अनुभव शामिल हो, अर्थात्:- (i) विज्ञान, प्रौद्योगिकी या सार्वजनिक सेवा में बड़े पैमाने के कार्यक्रमों का प्रबंधन, (ii) अनुसंधान, नवाचार या प्रौद्योगिकी-संचालित पहल का समर्थन, और (iii) अंतर-एजेंसी समन्वय या सहयोगी सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं को सुकर बनाना; (घ) सुदृढ़ संप्रेषण और समन्वय कौशल, सरकार, शिक्षा और उद्योग में विविध हितधारकों के साथ काम करने की क्षमता। वांछनीय योग्यताएँ: (ङ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि। टिप्पणी 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष - अध्यक्ष, (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव - सदस्य, (3) फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मुख्य वित्तीय अधिकारी	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अतनुसचिवीय	स्तर-14 (रु. 1,44,200 - 2,18,200)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति

(11)
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए (1,31,100 - 2,16,600 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (1,23,100 - 2,15,900 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और अनिवार्य योग्यताएँ:- (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या वित्त में स्नातक की डिग्री; और

वांछनीय योग्यताएँ:-

(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वित्त, लेखा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि; और

(घ) उपर्युक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट योग्यताएँ प्राप्त करने के बाद, वित्त, लेखा और प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव, वित्तीय कानूनों, कराधान, लेखा मानकों और विनियामक ढाँचों में ज्ञान और अनुभव।

टिप्पणी 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष - अध्यक्ष, (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव - सदस्य, (3) फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं

[फा. सं. आरआर/ऐऐनआरएफ/सीएफओ, सीओओ एवं ऐओ/2025]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2025

G.S.R. 627(E).— The following draft of recruitment rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), is hereby published for information of persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft recruitment rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft recruitment rules, if any, may be sent to the Director, Anusandhan National Research Foundation, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 email: anrf-director@anrf.gov.in.

The objections or suggestions, if any, received from any person in respect of the said draft recruitment rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) These Rules may be called the Anusandhan National Research Foundation, Method of Recruitment, Salary and Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chief Operating Officer and Chief Financial Officer Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) ‘Act’ means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023);
- (b) “Foundation” means the Anusandhan National Research Foundation established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (c) “Schedule” means Schedule appended to these rules, and
- (d) words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Application.— These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of said posts, their classification and level in pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. Appointing authority.— The Chairperson of the Executive Council shall be the appointing authority for the posts specified in column (1) of the Schedule.

7. Outdoor medical treatment.— (1) The officers shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression “family” shall have the meaning assigned to it in the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st day of January of the year (basic pay plus dearness allowance) whichever is less:

Provided that release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on the 1st day of January.

(3) The medical claim shall be supported by medical officer's prescription and the original cash memos or bills for treatment and purchase of medicines duly signed and authenticated with the signature and seal of the medical officer.

(4) For officers joining the duty during the year after the 1st day of January, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be availed only from the Authorised Medical Attendants duly empanelled by the Foundation.

(6) In case of chronic ailments, prescription from the hospitals recognised or covered under the Central Service Medical Attendance Rules, 1944 or the Central Government Health Scheme shall be admissible for the purposes of reimbursement of the cost of medicines and tests, if any.

(7) For the purposes of cost intensive treatment, the reimbursement shall be admissible at the rates specified in accordance with the provisions of the Central Government Health Scheme or the

Central Services Medical Attendants Rules, 1944 with the approval of the Foundation on a case to case basis.

(8) In case of emergency, the officer may avail treatment at the nearest hospital and expenditure shall be reimbursed as per the rates specified under the Central Government Health Scheme subject to production of emergency certificate from the medical officer or the hospital authorities.

8. Indoor medical treatment.- (1) For the purposes of indoor medical treatment, the officer shall be eligible to avail treatment in hospitals authorised by the Foundation in this behalf and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government officers drawing equivalent salary in pay matrix.

(2) The treatment in authorised hospitals referred to in sub-rule (1) shall be the same as may be admissible to the Central Government officers availing the treatment in accordance with the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(3) The treatment at authorised hospitals referred to in sub-rule (1) shall be availed only on the advice of the Authorised Medical Attendant, except in emergency cases.

9. Disqualification.- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. Processing of applications: A duly constituted Screening Committee by the CEO, ANRF shall evaluate the applications received by the Foundation and may shortlist candidates based on the requirements of the job and curriculum vitae of the candidates for further processing.

11. Selection Committee.- The Selection Committee for making recommendations to the Appointing Authority for recruitment or selection to the posts of Chief Operating Officer and Chief Financial Officer specified in column (1) of the Schedule shall be as specified in column (12) of the Schedule.

12. Residuary provision. - The conditions of service of the officer holding posts specified in column (1) of the Schedule for which no express provision is specified in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to officers of the Central Government drawing equivalent salary in pay matrix.

13. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Schedules Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

14. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Operating Officer	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-15 in the pay matrix (Rs. 1,82,200 - 2,24,100).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which the promotion or deputation to be made.

(11)

Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or Public Sector Undertaking or recognised Research Institution or University or Semi Government or Statutory or Autonomous organisation, -

with at least three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200) or equivalent.

Essential qualifications:

(b) possessing Master's degree in engineering, science, technology or allied disciplines from a recognised University or Institution; and

(c) possessing fifteen years experience after obtaining the qualifications referred to in clause (b) above, in roles involving research administration, Government programs, innovation management, public sector operations or mission-driven initiatives with specific experience in one or more of the following fields, namely:-

- (i) managing large-scale programs in science, technology, or public service,
- (ii) supporting research, innovation, or technology-driven initiative, and
- (iii) facilitating inter-agency co-ordination or collaborative public-private projects;

(d) strong communication and co-ordination skill, ability to work with diverse stakeholders across Government, academia and industry.

Desirable qualifications:

(e) possessing Master's degree in Business Administration from a recognised University or Institution.

Note 1.- The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Selection Committee consisting of,- (1) Chairperson of the Executive Council of the Foundation – Chairperson, (2) Secretary to the Department of Science and Technology – Member, (3) Chief Executive Officer of the Foundation – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Chief Financial Officer.	1 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-14 in the pay matrix (Rs. 1,44,200 - 2,18,200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation including short term contract.

(11)
Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or Public Sector Undertaking or recognised Research Institution or University or Semi Government or Statutory or Autonomous organisation, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 -2,16,600) or equivalent; or (iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-13 in the pay matrix (Rs.1,23,100 – 2,15,900) or equivalent; and Essential Qualifications:- (b) possessing Bachelor's degree in Commerce or Finance from a recognised University or Institution; and (c) possessing twelve years experience, after obtaining the qualifications referred in clause (b) above, in finance, accounts and administration with knowledge and experience in financial laws, taxation, accounting standards and regulatory frameworks. Desirable Qualifications:- (d) possessing Master's degree in Finance, Accounting, Public Financial Management or allied disciplines from a recognised University or Institution; and Note 1.- The period of deputation, including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Selection Committee consisting of,- (1) Chairperson of the Executive Council of the Foundation – Chairperson, (2) Secretary to the Department of Science and Technology – Member, (3) Chief Executive Officer of the Foundation – Member.	Not applicable.

[F. No. RR/ANRF/CFO,COO &AO/2025]

SUNIL KUMAR, Additional Secy.